कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश कमांक **24/348-2003 S-I (1)** दिनांक, चण्डीगढ़ **24.6. 2004**

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम–2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राव खेम चन्द विद्या विहार शिक्षा समिति, को कक्षा I से 10वीं तक को सम्बधता हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश कमांक **24/348-2003 S-I (1)** दिनांक, **24.6. 2004** में निहित शर्तों तथा समय–समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड़ नं0 ***24/REW/10TH /CBSE /2004*** है।

आर0 बी0 लांगायन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन कमांक सम दिनांक, चण्डीगढ़ 24/6/04

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1. प्रबन्ध समिति, राव खेम चन्द विद्या विहार शिक्षा समिति, रिवाड़ी।
2. सचिव कैन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी
4. मास्टर फाईल।

ओफीसर इन्चार्ज विद्यालय –I
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

D:\AOs\monitoring cell\issued mac\rao rewari dav.doc